

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत :- अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली जिला पाली राज.

अपीलाण्ट्स

बनाम

रेस्पोंडेंट्स

श्रीमती सुखीदेवी धर्मपत्नी श्री शंकरलाल  
जाति मेघवाल निवासी बीजापुर तह. बाली  
जिला पाली राज.

- चिराग कुमार भूपेन्द्र भाई सोनी पुत्र  
भूपेन्द्र भाई जाति सोनी निवासी डा.  
डा. दवे हॉस्पिटल के पास खेडब्रह्मा  
जिला साबरकांठा गुजरात
- विशाल भूपेन्द्र कुमार सोनी पुत्र भूपेन्द्र  
कुमार जाति सोनी डा दवे हॉस्पिटल  
के पास खेडब्रह्मा तह. खेडब्रह्मा जिला  
साबरकांठा गुजरात
- श्रीमान तहसीलदार, बाली जिला पाली

किस्म मुकदमा : राजस्व अपील प्रकरण संख्या : 08 / 2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024 / 76 )

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर नॉटिस अहकाम जी हुम हुकम की तारीख म जारी हुक
29.02.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (गुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/ कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 29.04.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली</p>	<p>क्र: 339-340, दिनांक 29/2/24 को नोटिस जारी।</p>
29/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई/ अपीलार् उषस्थित अपीलार् श्रीमती सुखीदेवी धर्मपत्नी श्री शंकरलाल ने उचितता पत्र प्रस्तुत कर बिषेपन किया कि हमारे व रेस्पोंडेंट्स की आपसी श्वाभंदा होने से उक201 को श्वाभंदा बन्दी चाहिए। अतः उक201 को विद्वात किया जावे। अपीलार् द्वारा प्रस्तुत उम्मेदा पत्र के आधार पर उक201 में आपसी श्वाभंदा होने से उक201 को श्वाभंदा बन्दी चाहिए एवं विद्वात किया जावे पर पत्रावली में श्वाभंदा कार्यवाही समाप्त कर पत्रावली निरस्त की जानी है/ पत्रावली केमज सुमाद लोकर नम्बर में कम हो।</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)</p>	<p>सुरती देवी</p>